



अति-आवश्यक

स्मरण-पत्र-3

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2024/ 1387
प्रति,

दिनांक :- 07/6/24

प्राचार्य,
समस्त अशासकीय महाविद्यालय,
विक्रम विश्वविद्यालय, परिक्षेत्र।

विषय :- महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की ऐंडोमेंट फंड की (एफ.डी.आर.)की राशि विश्वविद्यालय में जमा करने बाबत।

संदर्भ :- विश्वविद्यालय का पूर्व पत्र क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2024/470, दिनांक 08.01.2024 एवं स्मरण पत्र क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2024/671, दिनांक 13.02.2024 तथा क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2024/860, दिनांक 07.03.2024,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि, आपके महाविद्यालय में संचालित (महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रम) पाठ्यक्रमों की परिनियम क्रमांक 28 के भाग 02 की कंडिका 3(3)(i) एवं (a) (b) (c) एवं (d) अनुसार ऐंडोमेंट फंड की राशि (एफ.डी.आर.) विश्वविद्यालय में जमा होना नहीं पाई गई है।

अतः जिन महाविद्यालयों द्वारा आज दिनांक तक ऐंडोमेंट फंड की राशि (एफ.डी.आर.) विश्वविद्यालय में जमा नहीं की गई है उन्हें निर्देशित किया जाता है कि, उपरोक्तानुसार महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की एफ.डी.आर. राशि (कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन एवं प्राचार्य/संचालन समिति के संयुक्त नाम से) बनवाकर विश्वविद्यालय के अकादमिक (सम्बद्धता) शाखा में पत्र प्राप्त के 07 दिवस के भीतर जमा करना सुनिश्चित करें। एफ.डी.आर. की अवधि 60 माह होना आवश्यक है।

समयावधि में एफ.डी.आर. विश्वविद्यालय में जमा न करने पर आपके महाविद्यालय के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं इसका उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार

उपकुलसचिव (अकादमिक)

दिनांक :- 07/6/24

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2024/ 1388

प्रतिलिपि :- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

01. सचिव, महाविद्यालय संचालन समिति।
02. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल।
03. सचिव, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली।
04. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
05. उप/सहायक कुलसचिव परीक्षा/गोपनीय विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
06. प्रभारी, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
07. प्रभारी वेबसाइट, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
08. माननीय कुलपतिजी कुलसचिवजी के निज सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

उपकुलसचिव (अकादमिक)